न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 111/2020 **दायर तारीख :–** 11-08-2020

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

1. विमला देवी पत्नि नाथू सिंह जाति राजपूत निवासी खेडी डालू सिंह तहसील बावल जिला रेवाडी हाल निवासी भोजेरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर
2. सवाई सिंह पुत्र चंदर सिंह जाति राजपूत निवासी सताना तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। **— प्रार्थीगण**

बनाम

1. धूणीलाल
2. पूरण
3. जगन्नाथ
4. बाबूलाल
5. बलदेव
   } पुत्रान सुरजा
6. रामप्रताप
7. हनुमान
8. बलदेव
9. उमराव
10. अर्जुन
   } पुत्रान रामबक्स
11. बशी
12. कालू
13. मुरली
   } पुत्रान पन्ना
14. जयराम
15. तेजा
   } पुत्रान सुरजा
16. बद्री
17. भोला
   } पुत्रान रतना
18. रघूवीर पुत्र भगवाना
19. श्रवण
20. सुल्तान
21. लालाराम
22. देवकरण
   } पुत्रान सगरा

(1 से 22) समस्त जाति गुर्जर निवासी भोजेरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

23. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर राज0। **— अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र सीमांकन पत्थरगढी एवं सीमा निश्यचकरण

उपस्थित : श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रार्थीगण
पैरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

निर्णय

निर्णय दिनांक : 04.02.2021

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम भोजेरा पटवार हल्का जोधूला के खाता संख्या 113 के खसरा नम्बर 324/0.67, 325/0.65, 326/0.45, 344/0.31, 345/0.30, 347/0.73, 348/0.41, 349/0.36 हैक्टेयर भूमि दिगर खसरा नंबरान के साथ प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073–2076 है। यह है कि उक्त खातेदारी भूमि के आस पडोस में अप्रार्थीगण की भूमि लगती हुई होने से प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के खिलाफ न्यायालय श्रीमान के यहां एक वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का उनवान बिमला देवी बनाम धूणीलाल वगैरह पेश किया था, जिसमें भी न्यायालय श्रीमान ने अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण कब्जे काश्त में दखन नहीं देने के लिए एवं प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक अपनी भूमि पर काबिज होकर काश्त करने के लिए पाबंद किया है। यह है कि अप्रार्थीगण जनबल एवं धनवल में प्रार्थीगण से अधिक मजबूत स्थिति में होने एवं उंची राजनैतिक पहूंच होने से अप्रार्थीगण का मनोबल काफी बढा हुआ है। और अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि की काश्त करने में दखल करते है और सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है, जिससे प्रार्थीगण ने दिनांक 22.06.2020 को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान भी करवा लिया, परन्तु अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान को भी नहीं मान रहे हैं। प्रार्थीगण अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि वाके भोजेरा पटवार हल्का जोधूला के खसरा नम्बर 324/0.67, 325/0.65, 326/0.45, 344/0.31, 345/0.30, 347/0.73, 348/0.41, 349/0.36 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी तहसीलदार तहसील विराटनगर को आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाकर करवायी जाने की कृपा करें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थीगण की तल्बी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम भोजेरा खाता संख्या 113 संवत् 2073–76, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 26.06.2020, नक्शा ट्रेस ग्राम भोजेरा, नकल वाद संख्या 38/2009 उनवान बिमला देवी बनाम धूणीलाल निर्णय एवं डिकी दिनांक 05.12.2019 आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम भोजेरा पटवार हल्का जोधूला के खाता संख्या 113 के खसरा नम्बर 324/0.67, 325/0.65, 326/0.45, 344/0.31, 345/0.30, 347/0.73, 348/0.41, 349/0.36, 378/0.25, 391/0.58, 576/0.08 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073–2076 है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क रहा कि मौके पर पडौसी खातेदार प्रार्थीगण की आराजी की

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

सीमा–डोल तोडते हैं, जबकि अन्य किसी का, प्रार्थीगण की आराजी से कोई संबंध नहीं है। यह भी कि प्रार्थीगण ने तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक– 2020/13 दिनांक 18.06.2020 की पालना में दिनांक 26.06.2020 को खसरा नंबर 324/0.67, 325/0.65, 326/0.45, 344/0.31, 345/0.30, 347/0.73, 348/0.41, 349/0.36 सीमाज्ञान करवा लिया है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।

6. प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण की वर्णित भूमि वाके ग्राम भोजेरा पटवार हल्का जोधूला के खसरा नम्बर 324/0.67, 325/0.65, 326/0.45, 344/0.31, 345/0.30, 347/0.73, 348/0.41, 349/0.36 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)